न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)

मि.न.18 / 2020 दिनांक 24.8.2020

सरकार बनाम छाजू वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खेड़ा निहालपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0236 / 1.30 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मेंसे 0.06 है0पर छाजू पुत्र दुर्जन, सोहन, पूरण, फुलाराम पुत्र बिड़दाराम जाति गुर्जर निवासी पूरण नगर ने मेड़ लगा कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । गैर सायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये । गैर सायल अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली पेश किया गैर सायल अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि गैर सायल ने आराजी खसरा नंबर 236 रकबा 0.06 वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा में कोई मैड नहीं लगा रखी है ना ही रास्ते को अवरूद्व कर रखा है ना ही रास्ते में कोई अतिक्रमण कर रखा है गैरसायलान अपने हिस्से की पूरी भूमि पर काबिज है। गैरसायलान ने किसी प्रकार रास्ते में मेड नहीं लगा रखा है ना ही मेड लगाकर रास्ते को अवरूद्व कर रखा है हल्का पटवारी ने जो रिपोर्ट मात्र गांव की राजनैतिक के कारण गांव में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने पर यह झूंठी रिपोर्ट देकर गैरसायलान को यह गलत नोटिस भिजवाया है जो शुरू से ही अवैध नोटिस है अतः गैर सायलान के विरूद्व कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के संदर्भ में भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के अनुसार गैर सायलान की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड जांच करने पर पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई अतिक्रमण की रिपोर्ट सही पाई गई। हमने पटवारी हल्का ,भू0अ0नि0 रिपोर्ट , गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है , अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

Sh

अतः गैर सायलान छाजू पुत्र दुर्जन, सोहन, पूरण, फुलाराम पुत्र बिड़दाराम जाति गुर्जर निवासी पूरण नगर को वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 236/1. 30है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.06है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर की गई मैड़ को मोके पर से हटाया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2.40रू. का पचास गुणा 120 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 24.8.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2020-210... ...... के रा० ले० 4
के पृष्ठ संख्या 35 .. पर 120.- ...
रुपये कायम किये गये ।

24/8/20
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली